न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2017

प्रार्थी–

जगमालसिंह पुत्र पूनमाजी जाति राजपुरोहित निवासी सोढों की ढाणी सणपा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. गोपालसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढ़ों की ढाणी सणपा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव सं. 07 दिनांक 01.12.2010 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा विक्रय विलेख संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री जगमालसिंह, प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।
2. श्री दलाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 16.05.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शिकायत अभ्यावेदन दिनांक 06.01.2017 पर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वमेव (suo moto) दर्ज की गई। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा जारी आलौच्य पट्टा विलेख संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 निरस्त करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम सोढ़ो की ढ़ाणी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सणपा मानजी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना–पत्र निवेदन किया है कि ग्राम सोढ़ो की ढ़ाणी आबादी भूमि में मेरा एक पट्टा व कब्जाशुदा पैतृक प्लॉट मय मकान आया हुआ है, जिसमें निवास करता हुॅं। मैं मजदूरी पर गुजरात गया हुआ था, वापस घर आने पर मेरे जानकारी मे आया कि मेरे उक्त प्लॉट मय मकान का फर्जी पट्टा गोपालसिंह पुत्र सावलसिंह राजपुरोहित निवासी सोढ़ो की ढ़ाणी वाले ने अपने नाम से जारी करवा दिया है। मैनें ग्राम पंचायत सणपा मानजी से उक्त पट्टे से संबंधित सूचना के अधिकार के तहत् सूचना प्राप्त की तो ज्ञात हुआ है कि गोपालसिंह द्वारा षडयंत्र रचकर फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार कराते हुए गलत कार्यवाही कर गोपालसिंह ने अपने मकान के साथ–साथ मेरे प्लॉट व मकान को भी सम्मिलित कर पट्टा जारी करवा दिया है। उक्त गोपालसिंह ग्राम पंचायत सणपा मानजी में रोजगार स[illegible]क [illegible] पद पर कार्यरत है जिसमें अपने पद का फायदा उठा[illegible] रचित दस्तावेज तैयार कर दिनांक 01.12.2010 को 3960 वर्गफीट का प[illegible] जारी करवा दिया है, जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

मेरे नाम पट्टा दिनांक 05.04.2003 का बना हुआ है। अतः मुझे न्याय दिलाया जाए।

5. अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे तथा किसी प्रकार का प्रतिरक्षण पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थी के पट्टाशुदा प्लॉट मय मकान का बिना किसी पुराने कब्जे के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पुराने कब्जे के विनियमीतीकरण के गलत आधार पर आलौच्य पट्टा संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 को जारी किया गया हैं। इस संबंध में विकास अधिकारी एवं तहसीलदार सिणधरी से संयुक्त मौका कब्जा रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट मय मौका फर्द में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा पट्टा संख्या 29 दिनांक 05.04.2003 को जगमालसिंह पुत्र पुनमाजी पुरोहित निवासी सोढ़ो की ढ़ाणी के नाम 20 गुणा 51.5 अर्थात 1030 वर्गफीट जारी किया गया था तथा इसी भूखण्ड का पट्टा संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 को गोपालसिंह पुत्र सावलसिंह कौम पुरोहित निवासी सोढ़ो की ढ़ाणी के नाम 440 वर्गगज अर्थात 3960 वर्गफीट का जारी किया गया है। वर्तमान मे उक्त विवादित भू-खण्ड पट्टा संख्या 29 व पट्टा संख्या 44 का कुल क्षेत्रफल 3960 वर्गफीट है। दोनों ही पट्टाधारकों को पट्टा एक ही भूखण्ड पर जारी किया हुआ है तथा इस भूखण्ड के पश्चिम हिस्से में 1320 वर्गफीट पर वर्तमान में गोपालसिंह पुत्र सावलसिंह की पत्नि व बच्चे मकान बनाकर अलग से रह रहे है। शेष भूखण्ड 2640 वर्गफीट मौके पर तीन ओर पक्की ... नी हुई है जिसमें लगभग 50 वर्ष पुराने खण्डरनुमा ... के बने हुए है, जिसको कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। इ... कोटड़ी पर जगमालसिह द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा है जबकि मौके पर शेष 2640 वर्गफीट पर किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का स्थाई अथवा अस्थाई निवास नहीं है। यह कोटड़ी पूर्व में सभी भाईयों की संयुक्त होना बताया है।वर्तमान में जगमालसिंह गांव के पास अपनी कृषि भूमि पर घर बनाकर रह रहे है तथा मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा पुरानी कोटड़ी पर जगमालसिंह का हक होना बताया है। मौका नक्शा मे विवादित भूखण्ड के कब्जे की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें बरंग हरा अप्रार्थी गोपालसिंह एवं बरंग पीला प्रार्थी जगमालसिंह का कब्जा होना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त मौका कब्जा जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 05.04.2003 में उल्लेखित भूखण्ड का आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में गलत एवं विधि विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में आवेदित भूमि के स्थल निरीक्षण की जो रिपोर्ट सम्मिलित की गई है उसमें अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है साथ ही उक्त आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 के स्वामित्व एवं कब्जे की ताईद में पड़ौसियान के बयान व अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं लिये गए है। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 7 दिनांक 01.12.2010 के अनुसरण में अप्रार्थी गोपालसिंह पुत्र सावलसिंह के पक्ष में जो आलौच्य पट्टा संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 को जारी किया गया हैं वह निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible]नी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार कि[illegible] सणपा मानजी द्वारा बैठक दिनांक 01.12.2010 में पारित प्रस्ताव [illegible] 7 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी गोपालसिंह पुत्र सावलसिंह के पक्ष में जो आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा संख्या 44 दिनांक 01.12.2010 जारी किया गया हैं, को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested